रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1971/ज्येष्ठ 12, 1893

No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1971/JYAISTHA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

KRISHI MANTRALAYA

(Khadya Vibhag)

ORDER

New Delhi, the 2nd June 1971

G.S.R. 895/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 656/Ess.Com./ Sugar, dated the 29th April, 1971, and directs that all orders issued in pursuance of the said notification shall stand cancelled.

[No. 1-2/71-S.Py.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1971

सा०का०नि० 895—आव० वस्तु०/शर्करा— आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 656 आव० वस्तु/शर्करा, दिनांक 29 अप्रैल, 1971 को एतद्द्वारा विखण्डित करती है और निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना के अनुसरण में जारी किए गए सभी आदेश रद्द हो जाएंगे ।

[सं० 1-2/71—एस०पी०वाई०]

आर० एस० तलवाड़, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971